

शिक्षा संवाद

2023, 10 (1): 55-63

ISSN: 2348-5558

©2023, संपादक, शिक्षा संवाद, नई दिल्ली

आलेख

आजीवन सीखने में वयस्क शिक्षा की भूमिका: एक नीतिगत दृष्टिकोण

पंकज दास

सहायक आचार्य

शिक्षाशास्त्र विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

ईमेल: daspankaj4@gmail.com

सार

समकालीन दुनिया में, कई विकसित और विकासशील देश आजीवन सीखने के लिए अपनी शैक्षिक नीतियों का पुनर्गठन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, 21वें विश्व ज्ञान समाज में देशों की ओर से प्रवेश को आसान बनाना। दूसरा, समाज के भीतर और समाज की बदलती जरूरतों में खुद को फिट करके समाज के बीच तेजी से तकनीकी परिवर्तनों में मानव अस्तित्व को सुनिश्चित करना। तीसरा, देश को सतत और समान विकास प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करना। इस प्रकार, इस संबंध में, पिछले पचास वर्षों में भारतीय वयस्क शिक्षा द्वारा जीवन भर के परिप्रेक्ष्य में सीखने के लिए अपनी विभिन्न नीति रणनीतियों में निभाई गई भूमिका की जांच करना सार्थक है।

कूटशब्द: आजीवन सीखना, शिक्षा नीति, शिक्षा, पाठ्यक्रम, वयस्क।

विश्व स्तर पर, आजीवन सीखने की अवधि के लिए कोई एकतरफा परिभाषा नहीं है। हालाँकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई आयोगों ने इसे एकतरफा तरीके से परिभाषित करने की पूरी कोशिश की है। एडगर फॉरे की कमीशन रिपोर्ट, लर्निंग टू बी: द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन टुडे एंड टुमॉरो में, इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन भर सीखते रहने की स्थिति में होना चाहिए। इक्कीसवीं सदी के लिए शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (1993-96), जिसे लोकप्रिय रूप से डेलर्स आयोग के रूप में जाना जाता है, इसे सीखने के चार स्तंभों पर जोर देकर जीवन के सभी चरणों में एक सतत प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है: जानना सीखना, करना सीखना, साथ रहना और रहना सीखना। फिर भी, कई लोग इसे मानवीय क्रियाओं और प्रतिबिंबों के लिए एक दार्शनिक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं।

शिक्षा संवाद

जनवरी-जून, 2023

इसके अलावा, इसे सभी मानवीय कार्यों के लिए एक विधि के बजाय एक रणनीति या सिद्धांत के रूप में अधिक माना जाता है।

समकालीन दुनिया में, कई विकसित और विकासशील देश आजीवन सीखने के लिए अपनी शैक्षिक नीतियों का पुनर्गठन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, 21वें विश्व ज्ञान समाज में देशों की ओर से प्रवेश को आसान बनाना। दूसरा, समाज के भीतर और समाज की बदलती जरूरतों में खुद को फिट करके समाज के बीच तेजी से तकनीकी परिवर्तनों में मानव अस्तित्व को सुनिश्चित करना। तीसरा, देश को सतत और समान विकास प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करना। इस प्रकार, इस संबंध में, पिछले पचास वर्षों में भारतीय वयस्क शिक्षा द्वारा जीवन भर के परिप्रेक्ष्य में सीखने के लिए अपनी विभिन्न नीति रणनीतियों में निभाई गई भूमिका की जांच करना सार्थक है।

भारतीय वयस्क शिक्षा नीतियों और आजीवन सीखने का अवलोकन

स्वतंत्रता के बाद, यह एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए योजनाकारों और लोकतांत्रिक नेताओं के लिए एक तत्काल चिंता का विषय था। इसलिए, आर्थिक विकास को योजनाकारों के लिए एक आवश्यक कार्य के रूप में देखा गया। लेकिन निरक्षरता की बड़ी दृढ़ता को आर्थिक विकास में एक बाधा के रूप में माना जाता था। इस प्रकार भारत जैसे नए स्वतंत्र देश के रूप में, साक्षरता नीति स्तर पर योजनाकारों की एक महत्वपूर्ण चिंता बन गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान औपचारिक शिक्षा पर इस धारणा के साथ जोर दिया गया कि इससे निरक्षरता की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन साथ ही यह भी महसूस किया गया कि राष्ट्र का विकास उसके वयस्क नागरिकों की शैक्षिक स्थिति पर आधारित है। इस प्रकार लगातार योजनाओं में वयस्क साक्षरता सामान्य रूप से राष्ट्रीय विकास की गति को तेज करने के लिए देश के सामने एक केंद्र बिंदु के रूप में उभरी। [संदीप: 1981]। परिणामस्वरूप नागरिकता शिक्षा की अवधारणा जिसे सामाजिक शिक्षा के रूप में जाना जाता है, अस्तित्व में आई।

1960 के दशक की शुरुआत में राज्य की विकास रणनीति में बदलाव के साथ, वयस्क शिक्षा को समाज के सभी वर्गों के लिए आजीवन शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में समान रूप से अवधारणा दी गई थी [पटेल: 1992]।

नीति के स्तर पर इस कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई एजेंडा तय किए गए। इस दिशा में किसान साक्षरता परियोजना 1967 बड़े पैमाने पर सरकार की पहली पहल थी। नतीजतन, प्रायोगिक विश्व साक्षरता कार्यक्रम 1967-74 और राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1978 का अनुसरण किया गया। हालाँकि, ये सभी कार्यक्रम अधिक समय तक नहीं चल सके, क्योंकि वे खराब कार्यान्वयन से पीड़ित थे। वास्तव में, ये सभी कार्यक्रम जनसंख्या के सभी वर्गों को अपने दायरे में शामिल नहीं कर सके।

सुधार की अवधि के दौरान, निरक्षर वयस्क आबादी को शिक्षित करने के लिए राज्य के दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव आया है। 70 के दशक के मध्य में, प्रौढ़ शिक्षा का दायरा उन वंचित समूहों तक गैर-औपचारिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए विस्तृत हुआ जो स्कूली शिक्षा से चूक गए थे। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के सभी स्तरों पर अशिक्षित बच्चों, युवाओं और वयस्कों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की वकालत की गई।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन [1988] और संपूर्ण साक्षरता मिशन के बैनर तले नियोजकों द्वारा लगातार दो पहलों में, निरंतर और प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्यों में समाज द्वारा निभाई गई भूमिका आजीवन सीखने के लिए एक नया आयाम जोड़ती है। इन दोनों कार्यक्रमों में महिलाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई और औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को आजीवन सीखने के परिप्रेक्ष्य में जोड़ा गया।

जन शिक्षण निलयम (जेएनएस), शामिक विद्यापीठ (एसवीपी) और नेशनल ओपन स्कूल के माध्यम से वयस्क गैर-औपचारिक शिक्षा ने अपने आदर्श वाक्य में सीखने को एक सतत आजीवन प्रक्रिया के रूप में जोर दिया। इसके अलावा सातवीं पंचवर्षीय योजना (1980-85) में, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना को गैर-औपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा तक विस्तारित

किया गया था। जनसंख्या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वयस्क साक्षरता शिक्षा के क्षेत्र में कई पहल की गई हैं।

उपरोक्त नीतियों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि कोई व्यापक विधायी और नीतिगत ढांचा नहीं है जो आजीवन सीखने के संदर्भ में वयस्क शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करता है। इसके अलावा, भारतीय संदर्भ में, वयस्क शिक्षा सामान्य रूप से वयस्क साक्षरता शिक्षा से संबंधित है, न कि व्यापक अर्थों में वयस्क शिक्षा [पटेल: 2000]।

कठोर वास्तविकता यह दर्शाती है कि देश में लाखों वयस्क निरक्षर हैं जिनकी दैनिक जीवन में वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों के लाभों तक पहुंच नहीं है। यहां तक कि सरकार ने वयस्क शिक्षा को आजीवन सीखने के ढांचे में फिट करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए हैं। लेकिन लागत-लाभ विश्लेषण एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है कि हमने मानव संसाधन विकास के संबंध में मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता दोनों में कम और बहुत कुछ खो दिया है। फिर वयस्क शिक्षा को आजीवन सीखने के लिए नियोजित रणनीति के रूप में सुनिश्चित करने के लिए नीति स्तर पर क्या उपाय किए जाने चाहिए? आजीवन सीखने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए कौन से उपायों की आवश्यकता है? ये मूलभूत प्रश्न हैं जिन्हें नीति नियोजकों द्वारा गंभीरता से संबोधित करने की आवश्यकता है।

यह पहली बार हैम्बर्ग, जर्मनी में 1997 में आयोजित वयस्क शिक्षा पर पांचवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में था, जिसमें स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर दिया गया था कि वयस्क शिक्षा पहचान को आकार दे सकती है और जीवन को अर्थ दे सकती है। इसे इन शब्दों में भी व्यक्त किया गया है कि 'जीवन भर सीखने का तात्पर्य उम्र, लिंग समानता, विकलांगता, भाषा, संस्कृति और आर्थिक विषमताओं जैसे कारकों को प्रतिबिंबित करने वाली सामग्री पर पुनर्विचार करना है।'

इसके अलावा, हैम्बर्ग घोषणा ने इस बात की पुष्टि की कि केवल मानव-केंद्रित विकास और मानव अधिकारों के लिए पूर्ण सम्मान पर आधारित सहभागी समाज ही स्थायी और न्यायसंगत विकास की ओर ले जाएगा। सम्मेलन में आजीवन सीखने के बहाने प्रौढ़ शिक्षा की भविष्य की भूमिका के मसौदे को भी रेखांकित किया गया है।

भविष्य की रणनीतियों के लिए एजेंडा

प्रौढ़ शिक्षा पर पिछले विश्व सम्मेलन ने दुनिया के कई हिस्सों में वयस्क शिक्षा पर नीतिगत निर्णयों को प्रभावित किया है। इस प्रकार, नीति स्तर पर, हैम्बर्ग घोषणा के साथ-साथ भारतीय बहुसांस्कृतिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए वयस्क शिक्षा को आजीवन सीखने के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में बढ़ावा देने के लिए इन निम्नलिखित अवधारणाओं पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

- सकारात्मक कार्रवाई: सामान्य रूप से शिक्षा और विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों और अन्य वंचित सामाजिक समूहों की ओर से वयस्क शिक्षा पर नीतियों में किसी प्रकार का सार्थक सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम (शायद आरक्षण, शायद कुछ विकल्प) होगा।
- विकेंद्रीकरण: प्रौढ़ शिक्षा के लिए संसाधनों की शक्ति और निर्णय लेने का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। जिला, तहसील और ग्राम स्तर की प्रशासनिक मशीनरी के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों का उचित समन्वय और वितरण होना चाहिए।
- लोकतांत्रिक केंद्रवाद: नियोजन और कार्यान्वयन प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण और कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ एक केंद्रीकृत नीति ढांचा और दिशा होनी चाहिए। परिचालन जवाबदेही को लागू करने के लिए जिम्मेदारी का स्पष्ट चित्रण होगा; और जमीनी स्तर पर कार्यक्रम की योजना और दिन-प्रतिदिन के कार्यान्वयन में कार्यकर्ताओं, समुदाय के नेताओं और लाभार्थियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र [भोला, 2002:59]
- राष्ट्रीय एकता: वयस्क शिक्षा के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय लक्ष्यों और प्राथमिकताओं की अवधारणा शामिल होनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता को धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक और नैतिक मूल्यों

के पालन पर जोर देकर सिखाया जाना चाहिए, जिससे लोकतांत्रिक और समाजवादी आदर्शों में योगदान हो।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकजुटता: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकजुटता को वयस्क शिक्षा की एक नई दृष्टि को मजबूत करना चाहिए जो कि समग्र हो और सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए जीवन और क्रॉस-सेक्टर के सभी पहलुओं को शामिल करे। संवाद, आदान-प्रदान, परामर्श और एक दूसरे से सीखने की इच्छा सहयोग के आधार हैं।
- बिल्डिंग पार्टनरशिप: भारत में प्रौढ़ शिक्षा के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों का संयुक्त प्रयास होना चाहिए। उन्हें योजना से लेकर इन कार्यक्रमों के मूल्यांकन तक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की हर प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। अतः सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की नीति पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।
- कार्यवाही अनुसंधान: वयस्क शिक्षा में, वयस्क आबादी की तत्काल आवश्यकता के संबंध में क्रिया-उन्मुख अनुसंधान पर बहुत जोर दिया जाएगा। वयस्क शिक्षकों/सहकर्मी शिक्षकों/परिचालकों को मौजूदा परिघटनाओं से उत्पन्न होने वाली तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए मौजूदा परिवेश को एक शोध उपकरण के रूप में उपयोग करना चाहिए।
- गुणवत्ता: उन लोगों के बीच की खाई को कम करने के लिए जिनके पास पहुंच है और जो जीवन के मूल अधिकारों के बारे में नहीं हैं और सीखने की विविधता के लिए अधिक पहुंच, प्रासंगिकता और सम्मान प्राप्त करने के लिए वयस्क शिक्षा की गुणवत्ता और स्थितियों में सुधार होना चाहिए। यह विभिन्न आयु समूहों के वयस्कों के लिए उनकी विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार सूचना और प्रलेखन सेवाओं को बढ़ावा देने, मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करने और परामर्श सत्र प्रदान करके किया जा सकता है। इसके अलावा, वयस्क शिक्षा के लिए एक बहु-विषयक दृष्टिकोण इसकी सामग्री और कार्यक्रमों में गुणवत्ता लाता है।
- विविधीकरण: नीति निर्माण में विविध कार्य संस्कृति और पर्यावरण पर जोर दिया जाएगा। इसमें विभिन्न विस्तार सेवाएं, प्रबंधकीय कार्य, नागरिकों के अधिकार, उपभोक्ताओं के अधिकार, शारीरिक कार्य संस्कृति, खाद्य सुरक्षा, यौन स्वास्थ्य आदि शामिल होंगे।

- सभी के लिए शिक्षा: शिक्षा का अधिकार एक मौलिक और साथ ही एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। लिंग, जाति, वर्ग, पंथ, धर्म और सामाजिक आर्थिक स्थिति के बावजूद वयस्क शिक्षा सभी वयस्क समूहों के लिए सुलभ होनी चाहिए। इसमें न केवल सामान्य वयस्क समूह शामिल होंगे बल्कि वृद्ध, शरणार्थी, प्रवासी, सामाजिक और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों और जेल के कैदियों जैसे हाशिए के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। समुदाय के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया जाना चाहिए और जहां आवश्यक हो, वयस्क शिक्षा में भाग लेने के लिए सहायता की जानी चाहिए।
- मास मीडिया: वयस्क शिक्षा का समर्थन करने और लोगों और संस्कृतियों के बीच समझ बनाने के लिए संवादात्मक संचार स्थापित करने के लिए जनसंचार माध्यमों और उन्नत प्रौद्योगिकी की भूमिका आवश्यक है। सभी संस्कृतियों के लिए संचार के साधनों तक अधिक से अधिक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि सभी अपने विशेष दृष्टिकोण और जीवन के तरीकों को साझा कर सकें और न केवल अन्य संस्कृतियों से संदेश प्राप्त कर सकें।
- महिला सशक्तिकरण: शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकतावादी दृष्टिकोण के प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक महिला सशक्तिकरण है। इस प्रकार, महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रक्रिया के लिए एक जीवन चक्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है और योजना प्रक्रिया में महिलाओं के जीवन के प्रत्येक चरण को प्राथमिकता के रूप में गिना जाता है। जब महिलाएं सामाजिक अलगाव और ज्ञान और सूचना तक पहुंच की कमी की स्थिति में फंस जाती हैं, तो वे घरेलू डोमेन के भीतर और बाहर निर्णय लेने की प्रक्रिया से अलग हो जाती हैं। इसलिए शैक्षिक प्रक्रियाओं को ज्ञान की बाधाओं को दूर करना चाहिए और महिलाओं को सामाजिक में भागीदार के रूप में पूरी तरह से सक्रिय होने के लिए सशक्त बनाना चाहिए।
- विकास एजेंसियों के साथ संबंध: नीति नियोजकों को प्रौढ़ शिक्षा और विकास एजेंसियों और कार्यक्रमों के बीच मजबूत संबंधों की स्थापना पर जोर देना चाहिए। यह विभिन्न विकास एजेंसियों जैसे-एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), एकीकृत ग्रामीण

विकास कार्यक्रम द्वारा चल रहे विकास कार्यों के साथ मजबूत तालमेल बनाकर संभव होगा। (आईआरडीपी), और इसी तरह।

- निगरानी और मूल्यांकन: जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यांकन और अनुश्रवण किसी न किसी रूप में होता है। मूल्यांकन एक शैक्षिक कार्यक्रम बनाने में मदद करता है, इसकी उपलब्धियों का आकलन करता है, और इसकी प्रभावशीलता में सुधार करता है। यह समय-समय पर सीखने में प्रगति की समीक्षा करने के लिए कार्यक्रम के भीतर एक अंतर्निहित मॉनिटर के रूप में कार्य करता है।
- कर नीति: सभी वयस्कों के लिए आजीवन सीखने को एक वास्तविकता बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में कई बाधाएं हैं। आर्थिक और वित्तीय बाधाएं सीखने में व्यक्तिगत भागीदारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से हैं (ओसीईडी: 2004)। कर नीति एक तरीका है जिससे सरकार सीखने में वयस्क निवेश का समर्थन कर सकती है, जो इस तरह के निवेश से होने वाले सामाजिक और व्यक्तिगत लाभों को दर्शाती है।

निष्कर्ष

आखिरकार, हम उत्तर-आधुनिक दुनिया के किनारे पर रह रहे हैं जहां ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया अभी भी बनाने की प्रक्रिया में है। इसलिए नीतिगत दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रणाली के लिए किसी भी प्रकार का लंबा एजेंडा तैयार करना वास्तव में एक विरोधाभासी स्थिति है। इसके अलावा, नीतिगत ढांचे में आजीवन सीखने का दृष्टिकोण प्रौढ़ शिक्षा की कानूनी, संरचनात्मक और वित्तीय स्थिति के अधीन है। हालाँकि, नीति में वांछित परिवर्तन ऐसा होना चाहिए कि इसका अर्थ पहुँच से बाहर तक पहुँचाया जा सके।

संदर्भ :

- एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम: पॉलिसी पर्सपेक्टिव एंड स्ट्रैटेजीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन नई दिल्ली: शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, 1983।
- भोल, एच. एस. (2000)। भारत में वयस्क साक्षरता शिक्षा की नीति विश्लेषण: 1968 और 1986 के दो राष्ट्रीय नीति समीक्षाओं के पारा डस्वानी, सी. जे. और शाह, एस. वाई. (संपादक)। भारत में वयस्क शिक्षा: चयनित पत्र (पृ. 15-28)। यूनेस्को, नई दिल्ली।
- ड्यूई, जॉन। द स्कूल एंड सोसाइटी, 2008, आकर बुक्स, नई दिल्ली।
- फ्रेड्रे, पाउलो। एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कांसियसनेस, 1974, कण्टीन्यूअम, लंदन।
- गर्ग, बी. एस. एडल्ट एजुकेशन इन द 21st सेंचुरी, हैम्बर्ग घोषणा, 1997, जर्मनी।
- पटेल, ईला। (2000)। भारत: वयस्क शिक्षा- विधायी और नीति पर्यावरण डस्वानी, सी. जे. और शाह, एस. वाई. (संपादक)। भारत में वयस्क शिक्षा: चयनित पत्र (पृ. 40-56)। यूनेस्को, नई दिल्ली।
- जार्विस, पी. (संपादक)। (2009)। द राउटलिज इंटरनेशनल हैंडबुक ऑफ लाइफलॉन्ग लर्निंग यूके: राउटलिज पब्लिकेशन।
- रिपोर्ट ऑन डेलॉर्स कमिशन ऑन लर्निंग टू बी: द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन टुडे एंड टुमॉरो, 1972, यूनेस्को।
- रिपोर्ट ऑन फिक्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडल्ट एजुकेशन, हैम्बर्ग, जर्मनी, 14-18 जुलाई, 1997, यूनेस्को।
- रुहेला, एस. पी. भारत में शिक्षा योग्यता के सामाजिक निर्धारक, 1969, जैन ब्रदर्स, नई दिल्ली।
- संदीप, पी. "भारत में वयस्क शिक्षा के लिए मूल्य"। पेपर प्रस्तुत किया गया: वर्ल्ड कांग्रेस इन एजुकेशन, विश्वविद्यालय डु क्यूबेक ए ट्रॉय रिविएरेस, कनाडा, 6-10 जुलाई, 1981।
- श्रीनिवास, म. एन. आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, 1966, आलाइड पब्लिकेशन, मुंबई।